

सूचीबद्ध ऋण प्रतभूतियों के लिए प्रकटीकरण मानदंड हुए सख्त

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड-सेबी (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने सूचीबद्ध ऋण प्रतभूतियों (Listed Debt Securities) में नविशकों के हित को सुरक्षित रखने हेतु ऐसी प्रतभूतियों को जारी करने वाली संस्थाओं के लिये प्रकटीकरण मानदंडों (Disclosure Norms) को सख्त कर दिया है।

प्रमुख बंदी

- सेबी ने डबिचर न्यासियों (Debenture Trustee) को अपनी वेबसाइट पर ग्राहकों के साथ क्षतिपूर्ति की प्रकृति का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है। इन खुलासों में न्यूनतम शुल्क और शुल्क को नरिधारति करने वाले कारकों के बारे में जानकारी देना भी शामिल है।
- डबिचर न्यासियों को एक वित्त वर्ष के दौरान सभी नरिगमों के संबंध में डबिचर धारकों पर ब्याज या परपिक्वता अवधि पूरी होने पर देय राशिका वविरण अपनी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यह वविरण वित्त वर्ष चालू होने के पाँच दिनों के भीतर ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा। साथ ही डबिचर न्यासियों को पूरे वित्त वर्ष के दौरान प्रबंधित नए नरिगम के बारे में भी सारा वविरण नरिगम बंद होने के पाँच दिनों के भीतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- सेबी के अनुसार, नरिजी नयोजन वाले नरिगम के संबंध में भुगतान और सूचीबद्धता में चूक से जुड़ी जानकारी जारीकर्त्ता और नविशक के बीच हुए समझौते में शामिल होनी चाहिये।
- नरिधारति तथि पर ब्याज और परपिक्वता अवधि पर देय राशिका के भुगतान में चूक की स्थिति में जारीकर्त्ता कंपनी को नरिधारति ब्याज दर (Coupon Rate) पर कम-से-कम 2% का अतरिकित ब्याज देना होगा। इसी प्रकार, आवंटन की तारीख से 20 दिनों से अधिक की देरी के साथ बॉण्ड को सूचीबद्ध करने पर जारीकर्त्ता कंपनी को ब्याज दर पर कम-से-कम एक प्रतशित अतरिकित वार्षिक ब्याज नविशक को देना होगा।

ऋणपत्र (Debenture)

- 'ऋणपत्र' (Debenture) शब्द लैटिन भाषा के 'डबिचर' शब्द से बना है जिसका तात्पर्य करण लेने से है। "ऋण पत्र एक लखित वपितर है जो कंपनी की सामान्य मोहर के अंतर्गत एक ऋण का अभिज्ञान कराता है।" इसमें एक वशिष्ट अवधि के बाद या एक मध्यावधि पर या कंपनी के एक वकिल पर परशिोधन और एक स्थिर दर पर ब्याज चुकौती (जोकि समान्यतः अर्द्धवार्षिक या वार्षिक तथि पर देय होता है) के लिये एक अनुबंध समाहित होता है।

डबिचर न्यासी या ट्रस्टी (Debenture Trustee)

- डबिचर न्यासी या ट्रस्टी एक व्यक्ति या इकाई है कि जो कि अन्य पक्ष के लाभ के लिये डबिचर स्टॉक को अपने पास रखने का काम करता है। कंपनियों को डबिचर नरिगम के लिये डबिचर न्यासी या ट्रस्टी नियुक्त करना आवश्यक है। बैंक या वित्तीय कंपनियों न्यासी/ट्रस्टी के रूप में कार्य कर सकती हैं। जब कोई कंपनी पूंजी जुटाना चाहती है तो इस उद्देश्य को पूरा करने का एक तरीका यह है कि करण चुकाने के दायित्व के साथ एक वशिष्ट ब्याज दर पर ऋण के रूप में स्टॉक जारी किया जाए। ट्रस्टी, ऋणपत्र/डबिचर जारी करने वाली कंपनी तथा ब्याज भुगतान प्राप्त करने वाले डबिचर धारक के बीच एक संपर्क के रूप में कार्य करता है।